ISSN (ELECTRONIC): 2945-3135

दानिश मसूद (2025). ***भारत में महिला सशक्तिकरण: एक परिप्रेक्ष्य.*** International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 4(1). 222-230.

INTERNATIONAL JOURNAL OF
MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & REVIEWS

journal homepage: www.ijmrr.online/index.php/home

भारत में महिला सशक्तिकरण: एक परिप्रेक्ष्य

डॉ. दानिश मसूद

सहायक प्रोफेसर - अर्थशास्त्र

राजकीय महाविद्यालय नैनीडंडा, पौड़ी गढ़वाल

Email id danishmasoud1234@gmail.com

How to Cite the Article: दानिश मसूद (2025). ***भारत में महिला सशक्तिकरण: एक परिप्रेक्ष्य.*** International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 4(1). 222-230.

https://doi.org/10.56815/ijmrr.v4i1.2025.222-230

वर्तमान युग के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो महिला सशक्तिकरण एक ज्वलंत मुद्दा है। महिला सशक्तिकरण एक ऐसी बहुआयामी विचारधारा है, जिसमें राष्ट्र के विकास हेतु महिलाओं की भागीदारी व योगदान को मुख्यधारा से जोड़ना है। कोई भी राष्ट्र तब तक प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक कि महिलाओं को पर्याप्त सम्मान व पद प्रदान न किया जाये। किसी भी विकासशील देश के लिये तो यह अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है, क्योंकि जहाँ की आधी आबादी ही महिला हो यदि वहां पर उनके योगदान को सराहा न जाए, साथ ही उनके लिए विकास के अवसर सृजित न किए जाएं तो ऐसे राष्ट्र के विकास की कल्पना करना एक स्वप्न देखने के तुल्य है।

महात्मा गाँधी के अनुसार, "भारत की आत्मा उसके गाँव में निवास करती है।" यह कथन आज भी सत्यता की कसौटी पर खरा उतरता है। भारत की लगभग 74 प्रतिशत आबादी आज भी गांवों में निवास करती है। यह कहना पूर्णरूप से तर्कसंगत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। आज भी जब भारतीय कृषि की बात होती है, तो एक तिहाई से भी अधिक कृषि श्रमिक या

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

दानिश मसूद (2025). ***भारत में महिला सशक्तिकरण: एक परिप्रेक्ष्य.*** International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 4(1). 222-230.

खेतिहर मजदूर के तौर पर महिलाएं ही हैं। परन्तु यह भी कड़वा सत्य है कि 80 प्रतिशत से अधिक खेतिहर मजदूर या कृषि श्रमिक महिलाएं अकुशल मजदूर हैं। उनकी इस अकुशलता के पीछे का कारण उनके कार्यों की अनदेखी, मजदूरी में असमानता, समाज की रूढ़िवादी विचारधारा, निम्न साक्षरता स्तर, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अभाव, शून्य जागरूकता एवं असंगठित संघ या संघ का अभाव आदि हैं।

सीमोन द बोउवार का यह कथन कुछ ही महत्वपूर्ण जान पड़ता है कि

"स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है।" यह कथन एक दर्पण के समान प्रतीत होता है, जो भारतीय स्त्री की वास्तविकता के प्रतिबिंब को बहुत ही सरल रूप में जीवंतता प्रदान करता है।

स्वतंत्रता के पश्चात् विशेषकर स्त्री की दशा में बहुत सुधार आया। इसलिए 19वीं सदी के 'पुनर्जागरण काल' के नाम से भी पुकारा जाता है। इस समय में शिक्षा का अत्यंत प्रचार-प्रसार हो गया था। साथ ही बहुत से समाज सुधारक जो कि पश्चिमी उदारवादी दृष्टिकोण से प्रभावित थे, उन्होंने बहुत-सी सामाजिक बुराइयों को दूर करने हेतु विशेषकर बाल-विवाह, सती-प्रथा, विधवा-विवाह, स्त्री शिक्षा आदि के लिये अनेकों सराहनीय प्रयास किये। आज हम भारतीय नारी के जिस आधुनिक रूप को देखते हैं, वह उन्हीं प्रयासों का सफल परिणाम प्रतीत होती है।

महिला सशक्तिकरण :

महिला सशक्तिकरण एक ऐसी अवधारणा है जिसमें महिलाओं के उत्थान व सम्मान को सर्वोपरी माना है।

पैलिनीथुराई ने महिला सशक्तिकरण के महत्व को उजागर करते हुए लिखा है -

"महिला सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के विकास की प्रक्रिया में राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा महिलाओं को सुनने के बराबर मान्यता दी जाती है।"

भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर महिला सशक्तिकरण के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने महिला के उत्थान व सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा, कानूनी अधिकार व समानता को आधार माना है।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

दानिश मसूद (2025). ***भारत में महिला सशक्तिकरण: एक परिप्रेक्ष्य.*** International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 4(1). 222-230.

डा० भीमराव अम्बेडकर के कथनानुसार "मैं किसी समाज की प्रगति महिलाओं की प्रगति से मापता हूँ।"

डा० अम्बेडकर ने हिन्दू कोड बिल (1951) के द्वारा महिलाओं को पैतृक सम्पत्ति में अधिकार, विवाह तथा तलाक जैसे विषयों में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने का प्रयास किया। स्वतंत्रता के पश्चात स्त्रियों को सभी सामाजिक कुरीतियों में बंधनों से आजाद करने के लिए बहुत से संवैधानिक प्रयास किये गये। समाज के पिछड़े वर्गों की भाँति स्त्रियों की भी मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनके अधिकारों के संरक्षण प्रदान करने हेतु कई नियमों को शामिल किया गया। उदाहरणस्वरूप अनुच्छेद 14, 15, 16, 19, 21, 23, 25, 29, 37, 39 (क), 42, 51, 243 (न) तथा 325 को भारतीय संविधान में महिलाओं को सशक्त करने हेतु शामिल किया गया। ताकि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किये जा सकें।

1990 के दशक से महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया गया। केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के द्वारा भी विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है जिनका मुख्य लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाना है। महिलाओं के राजनीतिक क्षेत्र की उन्नति के लिए 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, जिसके तहत महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्रदान किया गया। जिसके परिणम स्वरूप पंचायती राज संस्थाओं में व नगर निकाय चुनाव में महिला प्रतिनिधि के पदों में बढ़ोतरी हुई है

भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु संचालित कुछ योजनाएँ :-

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना :

इस योजना का शुभारंभ 08 अप्रैल 2015 को किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं, महिलाओं एवं छोटे व्यवसाय शुरू करने वाले व्यक्तियों को बिना किसी गारंटी के 20 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत 20 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। PMMY योजना द्वारा भारत सरकार लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बिना किसी गारंटी के वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करती है।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

दानिश मसूद (2025). ***भारत में महिला सशक्तिकरण: एक परिप्रेक्ष्य.*** International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 4(1). 222-230.

मुख्य बातें :

- वित्तीय सहायता : रु 20 लाख रुपये तक (पहले यह सीमा 10 लाख रुपये थी)
- गारंटी : ऋण लेने के लिए किसी प्रकार की बैंक गारंटी नहीं ली जाती है।
- पात्रता : महिलाएँ / किशोर / वयस्क / लघु व्यापारी आदि।

यह योजना मुख्य रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छोटे स्तर पर चल रहे उद्योगों जैसे- पशुपालन, दुग्ध उत्पादन आदि के लिए वित्तीय सहायता एवं ऋण प्रदान करती है।

स्टैंड-अप इंडिया योजना :

स्टैंड-अप इंडिया योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की गई। बाद में वर्ष 2025 तक इसे विस्तारित किया गया। व्यापार, सेवा तथा विनिर्माण क्षेत्रों में नए उद्योग प्रारंभ करने हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं को 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का बैंक ऋण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2016 से 2025 की शुरुआत तक 1.9 लाख से ज्यादा महिला व्यापारियों को 4300 करोड़ रुपये से ज्यादा के ऋण उपलब्ध कराए गए। इस योजना की सफलता को देखकर ही वर्ष 2025 तक इसका समय-सीमा को विस्तारित किया गया। स्टैंड-अप मित्रा पोर्टल के माध्यम से सीधे पंजीकरण कर आवेदन किया जाता है।

बैंक: किसी भी बैंक शाखा से जाकर संपर्क किया जा सकता है।

पात्रताः SC/ST / 18 वर्ष पूर्ण कर चुकी महिला उद्यमी।

भुगतान अवधिः 07 वर्ष, इसके अंतर्गत 18 माह की अधिकतम मोहलत / समय अवधि भी सम्मिलित है।

महाराष्ट्र मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना

इस योजना का शुभारंभ महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्ष 2024 में किया गया। यह एक सब्सिडी योजना है। इसके अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को बाजार मूल्य पर LPG सिलेंडर खरीदती हैं। लाभार्थी के बैंक खाते (आधार कार्ड से लिंक) पर सिलेंडर खरीद के एक माह के भीतर सब्सिडी आ जाती है। यह

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

दानिश मसूद (2025). ***भारत में महिला सशक्तिकरण: एक परिप्रेक्ष्य.*** International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 4(1). 222-230.

योजना खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा कार्यान्वित होती है। इस योजना में लाभार्थियों को हर वर्ष 03 घरेलू सिलेंडर निःशुल्क दिए जाते हैं।

पात्रताः

1. प्रत्येक परिवार से केवल एक ही लाभार्थी होगा।

2. गैस कनेक्शन महिला के नाम पर दर्ज होना चाहिए।

3. लाभार्थी को केवल 14.2 किलोग्राम वाला सिलेंडर मिलेगा। बाल पेट्रोल LPG सिलेंडर की जगह किये जायेंगे।

(4) पीएम उज्ज्वला योजना तथा माजी लड़की बहन योजना की लाभार्थी ही इस योजना लाभान्वित हो सकती है।

नंदा गौरा योजना :-

उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा यह योजना वर्ष 2017 में आरम्भ की गई थी। यह उत्तराखण्ड सरकार की बालिकाओं (महिलाओं) के लिए चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं (लाभार्थी) को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकार इस योजना का मुख्य ध्येय बाल-विवाह पर रोक लगाने के साथ-साथ बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई।

इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी बालिकाओं को 02 चरणों पर लाभ प्रदान किया जाता है।

प्रथम चरण :-

बालिका के जन्म के उपरान्त पर कन्या के माता-पिता को 11000 रुपये की वित्तीय सहायता देना।

द्वितीय चरण :-

बालिका के 12वीं कक्षा पास कर लेने पर 51,000/- रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

अधिकारीक पोर्टल नंदा गौरा योजना पोर्टल

पात्रता :-

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

दानिश मसूद (2025). ***भारत में महिला सशक्तिकरण: एक परिप्रेक्ष्य.*** International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 4(1). 222-230.

1. बालिका उत्तराखण्ड की मूल निवासी हो। या माता-पिता (जन्म के समय)

2. परिवार की मासिक आय ₹6000 से अधिक न हो।

(वार्षिक आय ₹72,000/-)

3. कन्या के जन्म पर इस योजना का लाभ तभी प्राप्त हो सकता है, जब कन्या का जन्म संस्थागत हुआ हो। कन्या जन्म के 6 माह की समय अवधि के अन्तर्गत उसका आवेदन ऑनलाइन रूप से किया गया हो।

महिला ई-हाट :-

इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही उन्हें ऑनलाइन रूप से अधिक सशक्त बनाना तथा उनके व्यापार को विस्तार प्रदान करने के लिए उन्हें निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करना है ताकि वे ग्राहकों से तथा ग्राहक उनसे सरलता से सीधे जुड़ सकें। यह योजना भारतीय सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय व स्वयं महिला समूह दोनों की सहभागिता से शुरू की गयी है।

महिला ई-हाट की प्रमुख बातें :-

आयु :- 18 वर्ष से अधिक होने पर महिला भारतीय नागरिक तथा केवल स्व निर्मित उत्पदों को बेच सकती है।

माध्यम :- निःशुल्क ऑनलाइन माध्यम

पंजीकरण :- महिला ई-हाट के माध्यम से उत्पाद की बिक्री पर कोई शुल्क नहीं लगता है। Mahilaehaat-rmk.gov.in लिंक पर जाकर पंजीकरण कराया जाता है। इसके बाद समूहों, अपने उत्पादों में उनसे संबंधित जानकारी अपलोड की जाती है।

धनलक्ष्मी योजना :-

इस योजना का शुभारंभ 03 मार्च 2008 को किया गया था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य कन्या भ्रूण हत्या तथा कन्या शिशु जन्म दर दोनों की रोकथाम हेतु कई नियमों का पालन करने पर बल देना,

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

महिलाओं/बालिकाओं के स्वास्थ्य सुधार हेतु प्रोत्साहित करना तथा इसके साथ ही शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना है। बालिकाओं को जीवन बीमा कवर जैसी सुविधा भी प्रदान करना इस योजना का एक अभिन्न अंग है।

विशेषता:

जन्म पंजीकरण, टीकाकरण और स्कूल में दाखिला पंजीकरण करने समेत नकद (आर्थिक) सहायता भी देती थी। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ ये था कि बालिकाओं के बाल-विवाह की संभावना घटती। 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण पर नकद हस्तांतरण या आर्थिक सहायता प्रदान करने की काफी सकारात्मक पहल देखने को मिली।

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना :-

इस योजना को हिमाचल में राजा सरकार द्वारा प्रारम्भ किया गया। यह योजना हिमाचल प्रदेश के युवाओं, महिला/पुरुष (18 से 45 वर्ष) की आयु स्वरोजगार उद्यम हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

उद्देश्य :-

हिमाचल प्रदेश में युवाओं/युवतियों को स्वावलम्बन बनाने हेतु स्वरोजगार/उद्यमिता को प्रोत्साहन देने हेतु प्रारम्भ की गई।

वित्तीय सहायता :-

विभिन्न प्रकार के लगभग 74 रोजगारों को इसके अन्तर्गत रखा गया। वित्तीय सहायता के रूप में 60 लाख रुपये के ऋण पर 03 वर्ष तक के लिए 5% ब्याज सब्सिडी ।

पात्रता :-

आवेदक की स्थायी/मूल निवासी (हिमाचल प्रदेश)

निष्कर्ष :-

उपरोक्त समस्त योजनाओं का केवल एक मात्र उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं को देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। उनके स्वावलम्बी व आत्मविश्वास से भरा है। बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करना।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

दानिश मसूद (2025). ***भारत में महिला सशक्तिकरण: एक परिप्रेक्ष्य.*** International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 4(1). 222-230.

ताकि वह विकास के पथ पर अग्रसर हो। भारत के विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रायः ऐसी योजनाओं का शुभारम्भ किया जाता है। जिनका कल्याण उद्देश्य महिलाओं व बालिकाओं को शिक्षित तथा आर्थिक रूप से सुदृढ़ प्रदान करना है। ताकि उनमें भी सुरक्षा की भावना जन्म ले सके। यदि महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए तो उनके उत्थान हेतु राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की ओर अधिक पहल करते हुए वर्तमान में संचालित योजनाओं का प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर करना होगा तथा साथ ही लाभार्थी चयन प्रक्रिया तथा आवेदन प्रक्रिया ही और भी अधिक सरल बनाना होगा। ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी योजना से जुड़कर उसका लाभ ग्रहण कर सकें।

AUTHOR(S) CONTRIBUTION

The writers affirm that they have no connections to, or engagement with, any group or body that provides financial or non-financial assistance for the topics or resources covered in this manuscript.

CONFLICTS OF INTEREST

The authors declared no potential conflicts of interest with respect to the research, authorship, and/or publication of this article.

PLAGIARISM POLICY

All authors declare that any kind of violation of plagiarism, copyright and ethical matters will take care by all authors. Journal and editors are not liable for aforesaid matters.

SOURCES OF FUNDING

The authors received no financial aid to support for the research.

सन्दर्भ लिंक :-

https://www.nandagaurauk.in

https://myscheme.gov.in

https://www.govtschemes.in

https://hpkangra.nic.in

संदर्भ (References):

Cheston S and Kuhn L. (2002). "Empowering Women through Microfinance", Draft, Opportunity International.

Pillai, J.K. (1995). Women and Empowerment. Gyan Publishers House, New Delhi.

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License

दानिश मसूद (2025). ***भारत में महिला सशक्तिकरण: एक परिप्रेक्ष्य.*** International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews. 4(1). 222-230.

Hosheni, S.M. (1996). "Rural credit programmes and women's empowerment in Bangladesh." World Development, 42(34), 635-653.

http://www.importantindia.com/19047/short-paragraph-on-women-empowerment/

http://www.newincept.com/central-government-schemes-for-women-empowerme nt.html

http://www.indiacelebrating.com/speech/women-empowerment-speech/

Das, S. (2022). Empowerment of women in relation to socio economic status level of education and emotional intelligence. Ravenshaw University. http://hdl.handle.net/10603/381748

Department of Women and Child and Social Welfare. Government of West Bengal. https://wcdsw.wb.gov.in/

Fernandes, S., and Koya, S.H. (2024). Women Empowerment Schemes, Constitutional Provisions and Legislation in India - A Study. A Global Journal of Humanities, 7(2), 210-22.

Kachika, T. (2009). Women's Land Rights in Southern Africa: Consolidated Baseline Findings from Malawi, Mozambique, South Africa, Zambia and Zimbabwe. London: Niza and Action Aid International.

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercia 4.0 International License